



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082025-265200
CG-DL-E-04082025-265200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947

No. 485]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

सं. 26/2025-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 528(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और ताइवान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “पाउडर रूप में ब्लैक टोनर” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 3707 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 5 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/12/2024-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर, 2024, जिसे दिनांक 30 सितंबर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ

(पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/12/2024-डीजीटीआर, दिनांक 6 मई, 2025, जिसे दिनांक 6 मई, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से निरंतर पाटन जारी है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात का भारत के बाजार में बहुत कम मूल्य पर पहुंचते रहने की संभावना है;
- (ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
- (iii) लिखित सूचनाओं के आधार पर ऐसा पता चलता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क को यदि इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के बने रहने और इस प्रकार की क्षति के होते रहने की संभावना है;
- (iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि यदि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इन वस्तुओं की यहां भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचती रहेगी,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अतः अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 मार्च, 2021, जिसे सा.का.नि. 153(अ), दिनांक 5 मार्च, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक/उपशीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक/उपशीर्षक	वस्तु का विवरण*	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	(ए) हान्डान हंगुआंग ओए टोनर कं, लिमिटेड	1167	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

					(बी)एचजी टेक्नोलॉजीज कं, लिमिटेड			
2.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 के अलावा कोई भी उत्पादक	1458	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और ताइवान को छोड़कर अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1458	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी	1568	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और ताइवान को छोड़कर अन्य कोई देश	मलेशिया	कोई भी	1568	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी	159	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	3707	पाउडर रूप में ब्लैक टोनर*	चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और ताइवान को छोड़कर अन्य कोई देश	ताइवान	कोई भी	159	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

• पाउडर रूप में ब्लैक टोनर, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

- कलर टोनर;
- एमआईसीआर टोनर (चैक में प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त विशिष्ट टोनर);
- प्रिंटिंग उपकरणों के मूल उपकरण निर्माता द्वारा प्रयोग के लिए आयातित टोनर;
- कार्ट्रिज में टोनर; और
- लिक्विड रप में टोनर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण— इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190349/38/2025-टीआरयू -सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2025

No. 26/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 528(E).— Whereas, the designated authority, *vide* notification number 7/12/2024-DGTR dated 30th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 30th September, 2024, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Black Toner in powder form” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff heading 3707 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR, Malaysia and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) initially imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2021-Customs (ADD), dated the 5th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 153(E), dated the 5th March, 2021;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, *vide* notification number 7/12/2024-DGTR, dated the 6th May, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 6th May, 2025, has come to the conclusion that-

- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty;
- (ii) dumped imports from subject country are causing injury to the domestic industry;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;
- (iv) there is strong likelihood of diversion of exports of the subject goods from the subject country to India if the existing anti-dumping measure ceases to exist,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-

dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 12/2021-Customs (ADD), dated the 5th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 153(E), dated the 5th March, 2021, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table below, falling under heading/subheading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), as per unit of measurement (UOM) as specified in the corresponding entry in column (8) and in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and of the said Table, namely :-

TABLE

S. No.	Heading/ Sub-heading	Description of Goods*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement (UOM)	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3707	Black Toner in Powder Form*	China PR	Any country including China PR	(a) Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd. (b) HG Technologies Co., Ltd.	1167	MT	USD
2	3707	Black Toner in Powder Form*	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at serial number 1	1458	MT	USD
3	3707	Black Toner in Powder Form*	Any country other than China PR, Malaysia & Taiwan	China PR	Any	1458	MT	USD
4	3707	Black Toner in Powder Form*	Malaysia	Any country including Malaysia	Any	1568	MT	USD
5	3707	Black Toner in Powder Form*	Any country other than Malaysia, China PR & Taiwan	Malaysia	Any	1568	MT	USD
6	3707	Black Toner in Powder Form*	Taiwan	Any country including Taiwan	Any	159	MT	USD
7	3707	Black Toner in Powder Form*	Any country other than Taiwan, China PR & Malaysia	Taiwan	Any	159	MT	USD

*Black Toner in powder form excluding the following:

- i. Color Toner;
- ii. MICR Toner (Specialized Toner used for printing in Cheques);
- iii. Toners imported for the use by Original Equipment Manufacturers of Printing Equipment;
- iv. Toner in Cartridges; and
- v. Toner in liquid form.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/38/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.